न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

छारा सिंह बनाम सरकार

प्रकरण सं. :– 92/24

अन्तर्गत धारा :– 136 एल.आर. एक्ट

2024/66

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
09/2/24	प्रार्थी छारा सिंह पुत्र पठाना सिंह जाति रायसिख सा. 11 पी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि चक 11 पी तहसील अनूपगढ़ के खामा स. 79 में प.नं. 140/50 मु.नं. 23 व मु.नं. 17 प.नं. 160/25 का कुल 5.250 हैक्टर कमाण्ड रकबा शारा सिह पुत्र पठाना सिंह जाति रायसिख सा. देह रहन स्टेट बैंब ऑफ इण्डिया नई मण्डी घड़साना दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का सही नाम छारा सिंह पुत्र पठाना सिंह है तथा प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजातों में प्रार्थी का नाम छारा सिंह पुत्र पठाना सिंह ही दर्ज व अंकित है। जबकि प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी/गिरदावरी में गलतीवश नाम शारा सिंह दर्ज व अंकित कर दिया गया। राजस्व रिकार्ड में शारा सिंह पुत्र पठाना सिंह के स्थान पर छारा सिंह पुत्र पठाना सिंह दुरूस्त करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक : पीजीकेएस 2023/04/29.05.2023 के द्वारा चक 11 पी के खाता सं. 79 में प.नं. 140/50 मु.नं. 23 व मु.नं. 17 प.नं. 160/25 का कुल 5.250 है. कमाण्ड रकबा शारा सिंह पुत्र पठाना सिंह जाति रायसिख सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नई धान मण्डी अनूपगढ़ दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक संलग्न दस्तावेजातों यथा पैन कार्ड, रा.रा.प.प.नि. का कार्ड, भामाशाह कार्ड की रसीद, ग्राम पंचायत 11 पी के प्रमाण पत्र, अल्पकालीन फसल ऋण पंजीयन आवेदन रसीद, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि के आधार पर प्रार्थी अपना नाम शारा सिंह के स्थान पर छारा सिंह करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार अनूपगढ़ की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड चक 11 पी के खाता सं. 79 में प.नं. 140/50 मु.नं. 23 व मु.नं. 17 प.नं. 160/25 का कुल 5.250 है. कमाण्ड भूमि के खातेदार के नाम शारा पुत्र पठाना सिंह के स्थान पर छारा सिंह पुत्र पठाना सिंह दुरूस्त कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार अनूपगढ़ को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (सुमित्रा बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

D:\Vijay\Vijay\Reader Section\136 LR